अध्याय-VI : कर भिन्न प्राप्तियाँ

6.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

जल दर, खान एवं खनिज, वन आदि प्राप्तियों से संबंधित अभिलेखों की वर्ष 2009–10 के दौरान हमने नमूना जाँच किया एवं 314 मामलों में ₹ 376.66 करोड़ के राजस्व की हानि/वसूली नहीं होने इत्यादि एवं अन्य त्रुटियों का पता लगाया, जो निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
क.	**खान एवं खनिज**		
1.	नीलामवाद प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं किया जाना	21	58.14
2.	ईंट–मिट्टी के अवैध उत्खनन हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	30	9.74
3.	रॉयल्टी एवं उपकर का नहीं/कम वसूली	16	1.93
4.	बालू घाटों का नहीं/अनियमित बंदोबस्ती होने के कारण नीलामी राशि का आरोपण नहीं/कम किया जाना	08	1.41
5.	मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण नहीं किया जाना	02	1.68
6.	खनिजों के अवैध अधिप्राप्ति के लिए कार्य संवेदकों के विरूद्ध अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	10	19.75
7	डेड रेंट/सरफेस रेंट का नहीं/कम आरोपण	03	2.78
8.	अन्य मामले	85	135.02
	कुल	**175**	**230.45**
ख.	**जल दर**		
1.	सिंचाई के लक्ष्य का निर्धारण नहीं किए जाने के कारण राजस्व की हानि	15	13.84
2.	जल दर की माँग सृजित नहीं किए जाने के कारण राजस्व की हानि	15	5.96
3.	जल दर के निर्धारण में विलम्ब	14	91.21
4.	चाट भूमि की बंदोबस्ती नहीं किए जाने के कारण राजस्व की हानि	06	1.70
5.	अन्य मामले	40	25.92
	कुल	**90**	**138.63**
ग.	**वन प्राप्तियाँ**		
1.	अतिक्रमित वन भूमि से बेदखल नहीं किया जाना	04	0.35
2.	संग्रहित/दावारहित लकड़ी का निष्पादन नहीं होने के कारण राजस्व अवरुद्ध रहना	09	0.52
3.	अन्य मामले	36	6.71
	कुल	**49**	**7.58**
	कुल योग	**314**	**376.66**

वर्ष 2009–10 के दौरान संबंधित विभागों ने 268 मामलों में शामिल ₹ 305.96 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों इत्यादि को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 281.58 करोड़ से सन्निहित 237 मामले वर्ष 2009–10 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इंगित किए गए थे।

दृष्टांतस्वरूप ₹ 7.73 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित कुछ मामले अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं।

6.2 लेखापरीक्षा अवलोकन

जिला खनन पदाधिकारियों/कार्यपालक अभियंताओं के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा में अधिनियम/नियमों एवं विभागीय आदेशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किए जाने के अनेक मामलों का पता चला, जैसा कि इस अध्याय के अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है। ये मामले दृष्टान्तस्वरूप हैं तथा हमलोगों द्वारा किए गए नमूना जाँच पर आधारित है। विभागीय पदाधिकारियों द्वारा हुए इन चूकों को प्रत्येक वर्ष हमलोगों द्वारा इंगित किए जाते रहे हैं, परन्तु अनियमितताएँ न केवल निरन्तर होती रही बल्कि लेखापरीक्षा किए जाने तक इसका पता नहीं लगाया गया। सरकार के लिए आवश्यक है कि आंतरिक नियंत्रण पद्धति एवं आंतरिक लेखापरीक्षा में सुधार लाए।

क : खान एवं खनिज

6.3 खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति के लिए कार्य संवेदकों के विरुद्ध अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

चौदह[1] जिला खनन कार्यालय

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 40 (10) के तहत् कार्य संवेदक केवल पट्टाधारी/अनुज्ञप्तिधारी और प्राधिकृत व्यवसायी से ही खनिज का क्रय करेंगे। कार्य विभाग, कार्य संवेदकों द्वारा किए गए कार्य में व्यवहृत खनिजों की लागत की वसूली हेतु जो विपत्र समर्पित किया जाता है, उसको तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक वह बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के तहत् विहित प्रपत्र 'एम' में एक घोषणा पत्र एवं प्रपत्र 'एन' में ब्योरे जिसमें उस पट्टाधारी/अनुज्ञप्तिधारी/व्यवसायी का नाम एवं पता वर्णित हो, जिससे खनिज का क्रय किया गया था, द्वारा समर्थित न हो। विभाग ने भी अधिसूचित किया (जनवरी 2006) कि कार्य संवेदकों द्वारा प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' प्रस्तुत किए बगैर विपत्रों का भुगतान नहीं किया जाएगा। उक्त विपत्र को प्राप्त करने वाला पदाधिकारी का कर्तव्य है कि प्रपत्रों की छायाप्रति संबंधित जिला खनन पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकारी को भेज दें। यदि प्रपत्रों के सत्यापन से यह प्रकट होता है कि खनिजों का क्रय किसी वास्तविक पट्टाधारी से नहीं किया गया है, तो यह माना जाएगा कि संबंधित खनिजों की प्राप्ति अवैध खनन द्वारा की गई है और ऐसी परिस्थिति में कार्य संवेदकों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 40(8) विहित करता है कि ऐसे अवैध खनन हेतु अर्थदण्ड में खनिज का मूल्य, लगान, रॉयल्टी अथवा कर, जैसा भी मामला हो, की वसूली शामिल होगा।

जून 2009 और फरवरी 2010 के बीच हमने अवलोकन किया कि कार्य विभागों ने कार्य संवेदकों द्वारा व्यवहृत खनिजों के ब्योरे को सत्यापन हेतु संबंधित जिला खनन पदाधिकारियों को नहीं भेजा था। इसके बावजूद वर्ष 2008–09 में कार्य विभागों ने कार्य संवेदकों के विपत्रों से खनिजों की खपत के विरूद्ध ₹ 23.92 करोड़ की रॉयल्टी की कटौती की एवं संवेदकों को शेष राशि का भुगतान किया।

पुनः जिला खनन पदाधिकारियों ने कार्य विभाग द्वारा रॉयल्टी की कटौती के बारे में जिला कोषागार प्राप्ति अनुसूची एवं संबंधित कार्य प्रमण्डलों द्वारा रॉयल्टी की कटौती की विवरणियों के माध्यम से सूचना प्राप्त होने के उपरान्त खनन क्रियाकलाप की प्रमाणिकता की जाँच

[1] बांका, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, गोपालगंज, जमूई, खगड़िया, लखीसराय, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना एवं शेखपुरा।

हेतु संबंधित कार्य विभागों से प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' की प्रतियाँ मँगाने हेतु किसी प्रकार की अग्रेतर कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने कहा कि अगर कार्य संवेदकों द्वारा रॉयल्टी का भुगतान कर दिया गया है तो खनन कार्यालयों द्वारा बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 40(10) के तहत् अन्य किसी प्रकार का अर्थदण्ड लगाने का प्रावधान नहीं है। पुनः सरकार/विभाग ने यह भी कहा कि आधारभूत संरचना विकास के हित में निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिजों के लिए अर्थदण्ड लगाना अव्यवहारिक है। हमलोग विभाग के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं क्योंकि यह बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली और जनवरी 2006 के विभागीय आदेश के अनुरूप नहीं है।

6.4 ईंट भट्ठों का परिचालन

6.4.1 रॉयल्टी की वसूली नहीं/कम किया जाना

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 26(क) एवं 28 के प्रावधानों और इसके अधीन निर्गत अधिसूचना (मार्च 2001) के तहत् ईंट भट्ठा मालिकों को परमिट प्राप्त करने के बाद रॉयल्टी की समेकित राशि का दो बराबर किश्तों में निर्धारित दरों पर ईंट भट्टे की श्रेणी के अनुसार भुगतान करना है। पुनः, बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली एवं अक्टूबर 1987 मे निर्गत निदेश के अनुसार यदि ईंट भट्ठा मालिक विहित प्रक्रिया के अनुसार समेकित रॉयल्टी का भुगतान करने में विफल रहता है तो सक्षम पदाधिकारी वैसे व्यवसाय को बन्द कराएँगे तथा बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 37 के अंतर्गत बकाया रॉयल्टी राशि की वसूली हेतु नीलामवाद प्रक्रिया आरम्भ करेंगे।

जून एवं अगस्त 2009 के बीच हमने अवलोकन किया कि पाँच[2] जिला खनन कार्यालयों में ईंट मौसम[3] 2008–09 में 230[4] ईंट भट्ठे परिचालित थे, जिसमें से 208 ईंट भट्ठा मालिकों ने ₹ 1.07 करोड़ के रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया जबकि शेष 22 ईंट भट्ठा मालिकों ने कुल ₹ 11.80 लाख के विरूद्ध ₹ 7.13 लाख का आंशिक भुगतान किया। संबंधित जिला खनन पदाधिकारियों ने न तो व्यवसाय बन्द कराया और न ही रॉयल्टी की वसूली हेतु नीलामवाद प्रक्रिया प्रारम्भ की। इसके फलस्वरूप ₹ 1.12 करोड़ की रॉयल्टी कम/नहीं वसूली गई। इसके अतिरिक्त भुगतेय रॉयल्टी पर 24 प्रतिशत की दर से वार्षिक साधारण ब्याज भी नियमानुसार आरोप्य है।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए सितम्बर 2010 में कहा कि रॉयल्टी भुगतान हेतु नीलामवाद दायर किया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2010)।

2 अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और मुजफ्फरपुर।

3 ईंट मौसम प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने से शुरू होकर अगले वर्ष के मार्च तक होता है।

4 श्रेणी–II: 19 एवं श्रेणी–III: 211।

6.4.2 ईंट मिट्टी के अवैध उत्खनन हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना।

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 40(8) प्रावधित करता है कि उस व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत रूप से उस अवधि के लिए जिसके लिए भूमि का उपयोग किया गया हो, अवैध खनन हेतु अर्थदण्ड में खनिजों के मूल्य, लगान, रॉयल्टी अथवा कर, जैसा मामला हो, की वसूली शामिल होगा। पुनः, नियम 40(1), जैसा कि विहित है, आपराधिक दण्ड प्रक्रिया प्रारम्भ करना, जिसमें साधारण कैद की सजा, जिसे छः महीने तक अथवा जुर्माना, जिसे ₹ पाँच हजार तक विस्तारित किया जा सकता है अथवा दोनों, विहित करता है। इसके अतिरिक्त बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 43(क) के अनुसार सरकार लगान, रॉयल्टी शुल्क या अन्य बकाया सरकारी राशि पर 24 प्रतिशत की वार्षिक दर से साधारण ब्याज भी प्रभारित कर सकता है।

जून 2009 एवं फरवरी 2010 के बीच हमने अवलोकन किया कि वर्ष 2008–09 के ईंट मौसम में 17[5] जिला खनन कार्यालयों में 514[6] ईंट भट्ठे समेकित रॉयल्टी का बिना भुगतान किए और बगैर वैध परमिट के संचालित थे। व्यवसाय बन्द करने अथवा अर्थदण्ड आरोपित करने से संबंधित कुछ भी अभिलेख पर नहीं था। इस प्रकार, खनिजों के न्यूनतम मूल्य के समतुल्य रॉयल्टी के अनुसार ₹ 2.67 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त भुगतेय रॉयल्टी पर ब्याज भी नियमानुसार आरोप्य है।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने सितम्बर 2010 में कहा कि विभागीय पदाधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा रही थी और सरकारी धन की वसूली हेतु नीलामवाद की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। सरकार/विभाग ने पुनः कहा कि बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली में अर्थदण्ड आरोपण का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। हमलोग जवाब से सहमत नहीं हैं क्योंकि उत्खनन बगैर वैध परमिट के किया गया था और इसलिए इन मामलों को अवैध खनन माना जाएगा और नियमानुसार अर्थदण्ड लगाया जाना था। हमलोग इन मामलों में आगे की प्रगति हेतु प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2010)।

6.4.3 चलन्त ईंट भट्ठा का अवैध संचालन

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना (दिसम्बर 2001) जो राज्य सरकार द्वारा परिचालित (जून 2005) था, के अनुसार चलन्त ईंट भट्ठा[$] का संचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि कोई चलन्त ईंट भट्ठा संचालित है तो उसे बन्द किया जाना चाहिए और अर्थदण्ड का आरोपण एवं वैधानिक कार्रवाई भी किया जाना चाहिए।

जिला खनन कार्यालय, शेखपुरा के खान निरीक्षक के निरीक्षण प्रतिवेदन से हमने दिसम्बर 2009 मे अवलोकन किया कि वर्ष 2008–09 में सात चलन्त ईंट भट्ठे (श्रेणी III) संचालित थे। न तो इन

---

5 बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, गया, गोपालगंज, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, रोहतास, सहरसा, शेखपुरा एवं सुपौल।

6 श्रेणी I: 8, II: 33, III: 473।

$ चलन्त ईट भट्ठा – स्थायी ईट भट्ठे के अतिरिक्त जहाँ बगैर चिमनी के अस्थायी रूप से ईटों का निर्माण किया जाता है।

चलन्त ईंट भट्ठों के संचालन को बन्द करने हेतु कोई दण्डात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की गई थी और न ही कोई रॉयल्टी एवं रॉयल्टी के समतुल्य न्यूनतम अर्थदण्ड, नियम में जैसा कि विहित है, हेतु दोषी ईंट भट्ठे मालिकों के विरूद्ध मांग सृजित किया गया था। इसके फलस्वरूप ₹ सात लाख (रॉयल्टी के रूप में ₹ 3.50 लाख एवं अर्थदण्ड के रूप में ₹ 3.50 लाख) की माँग सृजित नहीं हुई। इसके अलावे नियमों के तहत् ₹ 70,756 का ब्याज भी आरोप्य था।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए सितम्बर 2010 में कहा कि सभी चूककर्त्ताओं के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उनके विरूद्ध नीलामवाद मामले भी दर्ज की गई थी। इस मामले में हमलोग आगे की प्रगति हेतु प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2010)।

6.5 साधारण मिट्टी के अवैध उपयोग हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

जिला खनन पदाधिकारी, बाँका

तटबंधों, पथों, रेलवे एवं भवनों के निर्माण में भरने अथवा समतलीकरण करने में उपयोग किए गए साधारण मिट्टी एक लघु खनिज है। इस संदर्भ में बिहार सरकार ने गजट अधिसूचना (अप्रैल 2006) के माध्यम से साधारण मिट्टी के रॉयल्टी की दर ₹ 15 प्रति घन मीटर निर्धारित किया। बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 27 एवं 28 के तहत् किसी भी उत्खनन कार्यकलापों के लिए अपेक्षित फीस का भुगतान करने के बाद सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है।

नियम 40 (8) अवैध खनन हेतु अर्थदण्ड विहित करता है, जिसमें खनिज का मूल्य, लगान, रॉयल्टी अथवा कर, जैसा भी मामला हो, की वसूली शामिल है। पुनः नियम 40 (1), जैसा कि विहित है, आपराधिक दण्ड प्रक्रिया प्रारम्भ करना, जिसमें साधारण कैद की सजा, जिसे छः महीने तक अथवा जुर्माना, जिसे ₹ पाँच हजार तक विस्तारित किया जा सकता है अथवा दोनों, विहित करता है।

हमने सितम्बर 2009 में अवलोकन किया कि ग्रामीण कार्य विभाग, बांका में छः कार्य संवेदकों के विपत्र से वर्ष 2008–09 के दौरान मिट्टी कार्य में खनिज के उपयोग हेतु ₹ 36.64 लाख की रॉयल्टी की कटौती की गई थी। पुनः हमने अवलोकन किया कि कार्य संवेदकों, जिन्होंने लघु खनिज का निष्कासन किया था, इस हेतु खनन परमिट के लिए आवेदन नहीं दिया था। अतः संवेदकों ने मिट्टी का अवैध निष्कासन किया जिसके लिए नियमानुसार न्यूनतम अर्थदण्ड जो रॉयल्टी के समतुल्य राशि अर्थात् ₹ 36.64 लाख का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी थे। लेकिन संबंधित जिला खनन पदाधिकारी ने न तो ₹ 36.64 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया और न ही नियमानुसार कोई कार्यवाही आरम्भ की।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए सितम्बर 2010 में कहा कि जिला खनन पदाधिकारी, बांका को समुचित कार्रवाई करने के उपरान्त प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश दिया गया था। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2010)।

6.6 रॉयल्टी की कम वसूली

जिला खनन पदाधिकारी, मुंगेर

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 9(क) के अंतर्गत सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना के माध्यम से निर्देश दे सकती है कि नियम 52, जैसा कि विहित है, के तहत् विहित तरीके से कोई भी खनिज संविदा लोक नीलामी/निविदा के द्वारा पट्टे पर दे सकता है अथवा बंदोबस्त करनी है। पत्थर के उत्खनन हेतु पट्टा पाँच वर्षों से कम अवधि के लिए नहीं होगा तथा बंदोबस्तीधारी प्रत्येक वर्ष के 31 जनवरी से पहले पाँच समान किश्तों में रॉयल्टी का भुगतान अग्रिम में करेगा। पुनः अगर पत्थर की उत्खनित एवं प्रेषित मात्रा वार्षिक किश्त से अधिक है, तब बंदोबस्तीधारी अधिक उत्खनित किए गए मात्रा पर रॉयल्टी का भुगतान करेगा।

हमने जुलाई 2009 में पाया कि मार्च 2008 में तीन पत्थर खदानें ₹ 2.89 करोड़ में नीलाम किए गए थे। पट्टाधारियों को पत्थर उत्खनन एवं प्रेषण के लिए जनवरी 2009 के पूर्व रॉयल्टी का प्रथम किश्त के रूप में ₹ 57.81 लाख (नीलामी राशि का 1/5 भाग) का भुगतान करना था। पट्टाधारियों ने ₹ 76.19 लाख (₹ 1.79 प्रति घन फीट की दर से) मूल्य का 42,56,350 घन फीट पत्थर उत्खनित किया लेकिन मात्र ₹ 60.18 लाख का भुगतान किया (मार्च 2009)। हालाँकि अधिक मात्रा में प्रेषित पत्थर के लिए ₹ 16.01 लाख की रॉयल्टी की वसूली हेतु माँग सृजित नहीं किया गया था। इसके फलस्वरूप ₹ 16.01 लाख की रॉयल्टी की कम वसूली हुई।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने सितम्बर 2010 में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा कि अंतर राशि की वसूली की जा रही है। हमलोग आगे की प्रगति हेतु प्रतिक्षित हैं (दिसम्बर 2010)।

6.7 नीलाम राशि की वसूली एवं ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना

जिला खनन पदाधिकारी, शेखपुरा

बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोकथाम) नियमावली, 2003 के नियम 7 के अंतर्गत क्रशर हेतु व्यवहृत पत्थर खनिज के लिए भंडारण अनुज्ञप्ति दृढ़तापूर्वक सार्वजनिक नीलामी/निविदा के माध्यम से ही उच्चतम डाककर्त्ता/निविदाकर्त्ता को प्रदान किया जाना है। नीलाम के मामले में, नीलामी की राशि 31 दिसम्बर से पूर्व वार्षिक आधार पर बराबर किश्तों में सात वर्षों के अन्दर जमा किया जाना है। निर्धारित तिथि तक किसी किश्त के भुगतान में चूक होने पर छः माह तक 24 प्रतिशत की वार्षिक दर से साधारण ब्याज लगाया जाएगा और इसके बाद अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

हमने दिसम्बर 2009 में अवलोकन किया कि आठ भंडारण अनुज्ञप्तिधारियों[7] ने 2006, 2007 एवं 2008 वर्षों के नीलामी राशि की किश्तों से संबंधित देय राशि ₹ 12.42 लाख के विरूद्ध ₹ 6.73 लाख की राशि 45 से 732 दिनों के विलम्ब से जमा किया। खनिज विकास पदाधिकारी न तो डाककर्त्ता के विरूद्ध ब्याज का आरोपण किये और न ही नियमानुसार अनुज्ञप्ति रद्द करने की

[7] भंडारण अनुज्ञप्तिधारी वह व्यक्ति है जिसे पट्टा क्षेत्र के अंदर/उसके बाहर क्रशर में उपयोग हेतु पत्थर के भंडारण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाता है।

कार्रवाई की। इसके फलस्वरूप ₹ 5.69 लाख की नीलामी राशि की वसूली नहीं हुई और ₹ 1.77 लाख का ब्याज आरोपित नहीं किया गया।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए सितम्बर 2010 में कहा कि खनन पदाधिकारी को नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं प्रतिवेदन प्रेषित करने का निर्देश दिया गया है। हमलोग आगे की प्रगति हेतु प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2010)।

ख : जल दर

6.8 खतियानी तैयार नहीं किए जाने के कारण माँग का सृजन नहीं किया जाना

पाँच[8] सिंचाई प्रमंडल

बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 एवं उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत सिंचाई कार्यों के लिए जल आपूरित किए गए लाभार्थियों से जल दर की वसूली हेतु खरीफ के लिए 30 नवम्बर, रबी के लिए 30 अप्रैल एवं गर्मा फसल के लिए 15 जून तक सिंचाई विभाग द्वारा सिंचित भूमि की विवरणी (सूदकार), कृषकवार मापी (खेसरा) तथा माँग विवरणी (खतियानी) तैयार करना है। इसके बाद जून 2005 में विभागीय पुनर्गठन, जिसके तहत् सभी कार्यरत 17 राजस्व प्रमंडलों को बदलकर उनके कार्यों को 17 सिंचाई प्रमंडलों में वसूली के लिए समाहित कर दिया गया था, के आलोक में प्रमंडलों द्वारा वसूली हेतु खतियानी का कार्यान्वयन स्वयं किया जाना है।

हमने जुलाई और अक्टूबर 2009 के बीच अवलोकन किया कि इन प्रमंडलों द्वारा वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के दौरान खरीफ का 1,00,144.25 हेक्टेयर और रबी का 44,848.28 हेक्टेयर सिंचित भूमि हेतु खतियानी तैयार नहीं की गई थी। इसके फलस्वरूप ₹ 2.51 करोड़ के जल दर की माँग का सृजन एवं वसूली नहीं हुई।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल सं0–2, बेतिया ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया। कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, मुजफ्फरपुर ने कहा कि बाढ़ एवं इसके परिणामस्वरूप फसल की हानि के कारण खतियानी तैयार नहीं किया जा सका। अन्य तीन प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं ने खतियानी तैयार नहीं किए जाने का कारण कर्मियों की कमी को ठहराया। उनके कथन से हमलोग सहमत नहीं हैं क्योंकि सरकार को देय राजस्व की वसूली में चूक का ठोस कारण न तो बाढ़ की घटना और न ही कर्मियों की कमी हो सकती है।

मामला सरकार को अप्रैल 2010 में प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2010)।

[8] तिरहुत नहर प्रमंडल सं0–1, बेतिया; तिरहुत नहर प्रमंडल सं0–2, बेतिया; जल पथ प्रमंडल, जहानाबाद; सोन नहर प्रमंडल, खगौल एवं तिरहुत नहर प्रमंडल मुजफ्फरपुर।

6.9 कृषक समितियों द्वारा सरकारी राजस्व का अवैध अवरोधण

तीन[9] सिंचाई प्रमंडल

बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 के अधीन बनाए गए बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं निस्सरन नियमावली, 2003 के नियम 3.4.1 से 3.4.14 के अंतर्गत कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग ने सहमति पत्र के आधार पर जल उपभोक्ता संघ (समिति) के साथ एक निश्चित अवधि के लिए प्रबंधन (नहर प्रणाली का संचालन, रख–रखाव एवं विकास), जलदर का निर्धारण एवं संग्रहण के हस्तांतरण हेतु समझौता किया। सहमति पत्र के अंतर्गत समिति को जल प्रभारों के निर्धारित दर के अनुसार एक माँग विवरणी (पर्चा) तैयार करना था और इसे जल उपभोक्ताओं से वसूल किया जाना था। तत्पश्चात् सरकारी अंश राशि (30 प्रतिशत) को सरकारी खाते में जमा किया जाना था और शेष राशि (70 प्रतिशत) समिति को अपने पास रख कर नहर के विकास, रख–रखाव और संचालन पर उपयोग करना था।

नियम 3.6.9 (ख), जैसा कि विहित है, के अनुसार संघ को जल दर का उपरोक्त सरकारी अंश प्रत्येक वर्ष 31 मार्च (खरीफ के लिए) एवं 30 जून (रबी के लिए) के पूर्व सरकारी खाते में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना था। पुनः नियम 3.6.10, जैसाकि विहित है, के अनुसार यदि समिति विनिर्दिष्ट समय के भीतर जलदर का सरकारी अंश जमा नहीं करता है तब अगले सत्र में जल की आपूर्ति बन्द कर दी जाएगी और नियमानुसार बकाये की वसूली हेतु कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी।

हमने जुलाई 2008 और अक्टूबर 2009 के बीच अवलोकन किया कि सहमति पत्र के अनुसार वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 की अवधि से संबंधित सिंचाई योग्य क्षेत्र नहर प्रणाली का प्रबंधन 16[10] कृषक समितियों को हस्तानान्तरित किया गया था। वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 की अवधि में जल उपभोक्ताओं से वसूलनीय जलदर ₹ 3.09 करोड़ (खरीफः ₹ 2.08 करोड़, रबीः ₹ 1.01 करोड़) की संगणना क्रमशः ₹ 88 और ₹ 75 प्रति एकड़ खरीफ एवं रबी के सिंचित भूमि के क्षेत्र के आधार पर किया गया था जिसके विरूद्ध समिति को सरकारी खाता में सरकारी अंश (30 प्रतिशत) ₹ 92.70 लाख जमा करना था। यद्यपि समितियों ने केवल ₹16.92 लाख ही जमा किया, जिसमें से वर्ष 2007–08 से 2008–09 की अवधि से संबंधित ₹ 1.29 लाख की राशि दो कृषक समितियों (कोईलवर एवं सकला) द्वारा वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में जमा किया गया था, जैसा कि संबंधित प्रमण्डलों ने जून 2010 में प्रतिवेदित किया, एवं शेष राशि ₹ 75.78 लाख की वसूली नहीं हुई।

यद्यपि सहमति पत्र के प्रपत्र 7 की कंडिका 7 के अनुसार समितियों को वार्षिक वित्तीय तुलनपत्र की एक प्रति कार्यपालक अभियंता को प्रस्तुत करना अपेक्षित था, फिर भी प्रमंडल में ऐसा कोई तुलनपत्र उपलब्ध नहीं था। परिणामस्वरूप नहर प्रणाली के मरम्मत, रख–रखाव एवं विकास के उद्देश्य से समितियों द्वारा रखे गए शेष 70 प्रतिशत की व्यय की शुद्धता एवं उपयुक्तता को न तो कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित कर सके

[9] सोन नहर प्रमंडल, आरा; गंगा पम्प नहर प्रमंडल, चौसा, बक्सर एवं सोन नहर प्रमंडल, खगौल, पटना।

[10] आरा : 3, बक्सर : 5 एवं खगौल : 8

और न ही संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा समितियों के अभिलेखों की जाँच की गई।

पुनः देखा गया कि सोन नहर प्रमंडल, खगौल के अंतर्गत समितियों के साथ यद्यपि सहमति पत्र नवम्बर 2002 में पाँच वर्षों के लिए हस्ताक्षरित किया गया था, जो नवम्बर 2007 में कालातीत हो गया था, आगे सहमति पत्र का विस्तार भी नहीं किया गया था और ये समितियाँ जल उपभोक्ताओं से अवैध ढंग से जलदर की वसूली कर रही थी। हालाँकि, अन्य दो प्रमंडलों में सहमति पत्र दिसम्बर 2005 में हस्ताक्षरित किए गए थे और लेखापरीक्षा संवीक्षा अवधि में प्रभाव में थे।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद संबंधित कार्यपालक अभियंताओं ने कहा कि पत्राचार किया जा रहा था और समितियों को राशि जमा करने का निदेश दिया गया था। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2010)।

हमने मामले को अप्रैल 2010 में सरकार को प्रतिवेदित किया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2010)।

प्रेमन दिनाराज

(प्रेमन दिनाराज)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

पटना
दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

विनोद राय

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक